

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 129/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2020

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 06 फरवरी, 2020

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के परिपत्र संख्या : 64/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2020, दिनांक 27 जनवरी, 2020 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि असरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये दिनांक 06 फरवरी, 2020 को की गयी शलाका में सफल एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य किये गये निम्नलिखित असरकारी संकल्पों को सदन में प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी मर्दाने उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 13 फरवरी, 2020 से प्रारम्भ हो रहे सत्र में असरकारी संकल्पों हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2020 को उपलब्ध होने वाले प्रथम एवं क्रमिक असरकारी दिवसों को सदन की कार्य-सूची में यथासमय सम्मिलित की जायेंगी :-

क्रम-सं0	सदस्य का नाम	संकल्प
1	2	3
1	श्री वीर विक्रम सिंह	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-जैतीपुर में एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना करायी जाय।”
2	श्री मनीष असीजा	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद में यमुना नदी के तट से सटे दरौं/रिवाइन्स के रूप में बेहड़ में दर्ज निष्प्रयोज्य सरकारी भूमि (16.267 हेक्टेयर) पर वर्षा ऋतु में यमुना के बढ़े हुए जल स्तर को संरक्षित करके ‘झील का निर्माण’ कराया जाय।”
3	श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में रोहनियां बाजार से कलक्ट्री फार्म चौराहा तक जल निकासी हेतु समुचित व्यवस्था करायी जाय।”
4	श्री ब्रज भूषण राजपूत	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र में एक चैरिटेबल हास्पिटल खोला जाय।”

1	2	3
5	श्री लाल बहादुर	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कौशांबी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के ग्राम असकरनपुर मंगरोहनी में ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाते हुए मंझनपुर फीडर (टाउन फीडर) से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।”

2-विगत सत्रों के चर्चाधीन निम्नलिखित असरकारी संकल्प से सम्बन्धित मदों को विधान सभा में असरकारी संकल्पों हेतु उपलब्ध होने वाले प्रथम एवं क्रमिक असरकारी दिवसों को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-25 के परन्तुक के अधीन उपर्युक्त संकल्पों पर अग्रता मिलेगी तथा तदनुसार उन्हें उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा :-

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	संकल्प
1	2	3
1	डा० नीरज बोरा	“यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि भारतीय स्वातंत्र्य समर में उल्लेखनीय योगदान तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्मारक विश्वविद्यालय घोषित करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाय।”
2	श्री मनीष असीजा	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद के विश्व प्रसिद्ध कांच उद्योग में गर्म कांच की भट्टियों एवं बर्नरों पर काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाये।”
3	श्री अजय कुमार ‘लल्लू’	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर के सेवरही, दुदही एवं तमकुहीराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जनहित में संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा प्रदान कर सारी चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करायी जायं।”
4	श्री वीर विक्रम सिंह	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना करायी जाय।”
5	श्री मनीष असीजा	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद में विद्युत तंत्र के सुदृढीकरण हेतु 400 के०वी० क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना करायी जाय।”
6	डा० आर० के० वर्मा	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-प्रतापगढ़ के गरीब बेरोजगारों के पलायन को रोकने हेतु उद्योग/लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग की स्थापना की जाय।”
7	श्री अजय कुमार ‘लल्लू’	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के मनझरिया स्केप व सिद्धपुरा स्केप को नहर का स्वरूप देते हुये पक्का कराया जाय।”

1	2	3
8	श्री संजय गर्ग	“यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने हेतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक अन्य खण्डपीठ की स्थापना की जाय।”
9	श्रीमती नीलम करवरिया	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाये।”
10	श्री मनीष असीजा	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-फिरोजाबाद में बड़ी संख्या में कैसर रोग से पीड़ित नागरिकों को उपचार हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से निर्माणाधीन मेडिकल कालेज में एक कैसर अस्पताल/विंग/यूनिट की स्थापना करायी जाये।”
11	श्री फतेह बहादुर सिंह	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जनपद गोरखपुर में नये उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा बनाई गई नई नीति गीडा के अन्तर्गत नये उद्योगों के लिये भूमि अधिग्रहीत कर उपलब्ध करायी जाये।”
12	श्री जवाहर लाल राजपूत	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-झांसी के गुरुसराय कस्बे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाय।”
13	श्री वीर विक्रम सिंह	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत एक उप-मण्डी की स्थापना करायी जाये।”
14	श्री जवाहर लाल राजपूत	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में ऊर्जा विभाग एवं पावर कम्पनियों द्वारा बिना किसी अनुबन्ध के किसानों की जमीनों से हाईटेशन लाइनें बिछा कर करोड़ों की कमाई करने के एवज में सम्बन्धित किसानों को मासिक किराया, मुफ्त बिजली कनेक्शन एवं विद्युत दुर्घटना में समुचित मुआवजा दिलाया जाय।”
15	डा० नीरज बोरा	“यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनहित में लखनऊ-सीतापुर रेल प्रखण्ड पर भिठौली के पास पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा अण्डरपास का निर्माण करवाया जाये।”
16	श्री बृजेश कुमार प्रजापति	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिंदवारी की तहसील पैलानी के ग्राम-जसपुरा में एक फायर स्टेशन की स्थापना करायी जाये।”
17	श्री नील रतन सिंह पटेल ‘नीलू’	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद-वाराणसी के सेवापुरी में गंगातीरी गावों के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय का निर्माण कराया जाये।”

1	2	3
18	श्री जवाहर लाल राजपूत	“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि खेती में प्रयोग किये जा रहे खतरनाक रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से होने वाले भयंकर रोगों जैसे कैंसर, हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एवं पक्षाघात की जागरूकता विषयक जानकारी शिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल की जाय।”

भवदीय,
प्रदीप कुमार दुबे,
 प्रमुख सचिव।

संख्या : 129(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-माननीय मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीगण एवं समस्त मा0 मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के निजी सचिवों को मा0 मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीगण एवं समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 2-माननीय संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मंत्री की सूचनार्थ,
- 3-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 4-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,
- 5-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1,
- 6-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा/सार्वजनिक उद्यम/लघु उद्योग/सिंचाई/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/लोक निर्माण/चिकित्सा शिक्षा विभाग/न्याय/नगर विकास/ग्राम्य विकास/गन्ना विकास/कृषि/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/राजस्व विभाग/अल्पसंख्यक विभाग/पशुधारा विभाग।

अशोक कुमार,
 संयुक्त सचिव।